

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

क्रमांक:-मु./विधि/सामा./2020/

दिनांक

कार्यालय आदेश

मुख्यालय स्तर पर कमेटी गठित की जाकर ~~उक्त प्रकरणों को~~ रा.रा.प.निगम के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में समझौते के माध्यम से निष्पादन किया जाना इसके सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं।

1. विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित एमएसीटी अवार्ड के खिलाफ निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील पेश की गई है तथा उनमें स्थगन आदेश एवं बैंक अटैचमेंट के माध्यम से जिन प्रकरणों में पूर्ण भुगतान हो चुका है तथा क्लेमेंट अपील विचाराधीन नहीं है, उन पत्रावलियों का परीक्षण कर अपील को विद्धा किया जाएगा।
2. माननीय उच्चतम व उच्च न्यायालय द्वारा किसी एक बिन्दु पर निर्णय पारित कर दिया है तथा समान प्रकरण न्यायालय में लम्बित है जिसमें सफलता की सम्भावना क्षीण है ऐसे प्रकरणों को सूचीबद्ध कर समझौता किया जाएगा।
3. निगम संचालक मण्डल द्वारा प्रदत्त शक्ति में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 9792 दिनांक 26.10.2015, कार्यालय आदेश क्रमांक 1191 दिनांक 17.02.2016 के अनुसरण में समझौता किया जाएगा।
4. मुख्यालय स्तर पर निगम कमेटी का गठन किया जाता है।
 - (1) महा प्रबन्धक वित्त(सदस्य)
 - (2) कार्यकारी प्रबन्धक (सम्बन्धित विभाग) सदस्य
 - (3) कार्यकारी प्रबन्धक (विधि) सदस्य सचिव
5. निगम के पैनल अनिर्भाषकरण की कमेटी गठित की जायेगी।
6. मुख्यालय स्तर पर गठित कमेटी व अधिवक्ताओं की गठित कमेटी की अनुशंसा पश्चात् श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष महोदय से उक्त प्रकरणों में अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
7. प्रत्येक द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को कमेटी का आयोजन किया जाएगा
8. यह आदेश प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से जारी किये जा रहे हैं।

(हारून अली)

कार्यकारी निदेशक(विधि)

दिनांक 4-3-2020

क्रमांक:-मु./विधि/सामा./2020/66

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान परिवहन निगम, मु. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मु. जयपुर।
3. कार्यकारी निदेशक(प्रशासन/यातायात/विधि), राजस्थान परिवहन निगम, मु. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, रा.रा.प.निगम, मु. जयपुर।
5. महा प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.निगम, मु. जयपुर।
6. कार्यकारी प्रबन्धक (), राजस्थान परिवहन निगम, मु. जयपुर।
7. आदेश पत्रावली।

(हारून अली)

कार्यकारी निदेशक(विधि)